क्रम-संख्या-63

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 मार्च, 2013

चैत्र 7, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 333/79-वि-1-13-1(क)-2-2013

लखनऊ, 28 मार्च, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013 पर दिनांक 26 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2013) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2013)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1983 की धारा 29(2) का प्रतिस्थापन

2-उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 की धारा 29 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात् :-

"(2) मन्दिर के कब्जा में किसी आभूषण या अन्य मूल्यवान सम्पत्ति या खराब न होने वाली जंगम सम्पत्ति का अन्तरण निम्नलिखित की स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा,-

(क) अध्यक्ष, कार्यपालक समिति की स्वीकृति के, जहाँ सम्पत्ति का मूल्य एक लाख रुपये तक हो,

(ख) कार्यपालक समिति की स्वीकृति के, जहाँ सम्पत्ति का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक किन्तु दो लाख पचास हजार रुपये से अनधिक हो,

(ग) न्यास परिषद् की स्वीकृति के, जहाँ सम्पत्ति का मूल्य दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक किन्तु पाँच लाख रुपये से अनधिक हो,

(घ) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन और न्यास परिषद् की स्वीकृति के, जहाँ सम्पत्ति का मूल्य पाँच लाख रुपये से अधिक हो।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1983) का अधिनियमन श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर, वाराणसी और उसके विन्यास के समुचित और अधिक अच्छे प्रशासन की व्यवस्था करने के लिये किया गया है। धारा 29 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि मन्दिर के कब्जा में किसी आभूषण या अन्य मूल्यवान सम्पत्ति या खराब न होने वाली जंगम सम्पत्ति का अन्तरण न्यास परिषद् की पूर्वस्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा और यदि उस सम्पत्ति का मूल्य दस हजार रुपये से अधिक है तो राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन भी आवश्यक होगा। सम्पत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप उक्त उपधारा में प्रावधानित धनराशि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अति अल्प हो गयी है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है उक्त धारा को संशोधित करके यह व्यवस्था की जाय कि उक्त सम्पत्ति का अन्तरण, यदि सम्पत्ति का मूल्य एक लाख रुपये तक हो तो अध्यक्ष, कार्यपालक समिति की स्वीकृति से, यदि सम्पत्ति का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक किन्तु दो लाख पचास हजार रुपये से अनधिक हो तो कार्यपालक समिति की स्वीकृति से, यदि सम्पत्ति का मूल्य दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक किन्तु पाँच लाख रुपये से अनधिक हो तो न्यासपरिषद् की स्वीकृति से और यदि सम्पत्ति का मूल्य पाँच लाख रुपये से अधिक हो तो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन और न्यास परिषद् की स्वीकृति से किया जायेगा।

तदनुसार उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

एस0 के0 पाण्डेय,

प्रमुख सचिव।

No. 333(2)/LXXIX-V-1-13-1(Ka)-2-2013

Dated Lucknow, March 28, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Mandir

(Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 26, 2013.

THE UTTAR PRADESH SRI KASHI VISHWANATH TEMPLE (AMENDMENT) ACT, 2013

(U.P. ACT NO. 11 OF 2013)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple (Amendment) Act, 2013.

Substitution of section 29 (2) of U.P. Act no. 29 of 1983

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983 *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted,* namely:–

"(2) No Jewellery or other valuable property or movable property of a non-perishable nature which is in possession of the Temple shall be transferred except,–

(a) with the sanction of the Chairman, of Executive Committee, where the value of the property is upto rupees one lakh,

(b) with the sanction of the Executive Committee, where the value of property exceeds rupees one lakh but does not exceed rupees two lakh and fifty thousand,

(c) with the sanction of the Board, where the value of the property exceeds rupees two lakh and fifty thousand but does not exceed rupees five lakh,

(d) with the previous approval of the State Government and the sanction of the Board, where the value of the property exceeds rupees five lakh."

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983 (U.P. Act no. 29 of 1983) has been enacted to provide for the proper and better administration of Sri Kashi Vishwanath Temple, Varanasi and its endowment. Sub-section (2) of section 29 provides that no jewellery or other valuable property or other movable property of a non perishable nature which is in the possession of the Temple shall be transferred without previous sanction of the Board and if the value of the property is more than Rupees ten thousand the previous approval of the State Government shall also be necessary. Due to the increase in the value of the properties the amount provided in the said sub-section has become a meagre amount now a days. It has, therefore, been decided to amend the said section to provide that the said property shall be transferred with the

sanction of the Chairman of the Executive Committee, if the value of the property is up to Rupees one lakh, with the sanction of the Executive Committee, if the value of the property exceeds one lakh Rupees but does not exceed Rupees two lakh and fifty thousand, with the sanction of the Board if the value of the property exceeds Rupees two lakh and fifty thousand but does not exceed Rupees five lakh, and with the previous approval of the State Government and the sanction of the Board if the value of the properties exceeds Rupees five lakh.

The Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple (Amendment) Bill, 2013 is introduced accordingly.

By order,
S.K. PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 819 राजपत्र (हिन्दी)-2013-(3617)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 115 सा0 विधायी-2013-(3618)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।